विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–26 का उत्तरालेख–

प्रश्न	उत्तर
26 (क) क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में भी जी0एस0टी0 लागू है ? (ख) यदि हाँ, तो किन वस्तुओं पर कितनी जी0एस0टी0 निर्धारित है, उसका वस्तुवार विवरण वर्ष 2022–23 का सदन की मेज पर रखेंगे?	हाँ। उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 की व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस एवं एविएशन टरबाईन फ्यूल तथा मानव उपभोग हेतु अल्कोहलिक लिकर को छोड़कर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से समस्त वस्तुएं जी0एस0टी0 के दायरे में हैं। आम जन के उपयोग में आने वाली अधिकतर वस्तुओं को केन्द्रीय मूल नोटिफिकेशन संख्या–2/2017 दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा जी0एस0टी0 से करमुक्त रखा गया है। इसमें कुल 149 Entry हैं। इस केन्द्रीय नोटिफिकेशन के समतुल्य राज्य स्तर से अधिसूचना संख्या–KA.NI.-2-837/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(07)-2017 दिनांक 30.06.2017 जारी किया गया है। इस मूल अधिसूचना में समय–समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिनका विवरण पूरक सामग्री के रूप में संलग्न है। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत करयोग्य वस्तुओं को केन्द्रीय मूल नोटिफिकेशन संख्या–1/2017 दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा विभिन्न Schedules के अन्तर्गत अलग–अलग केन्द्रीय कर (CGST) दरों में निम्नवत रखा गया है– 1- Schedule I- 2.5% 2- Schedule II- 6% 3- Schedule III- 9% 4- Schedule IV- 14% 5- Schedule V- 1.5% 6- Schedule VI- 0.125% इस मूल केन्द्रीय नोटिफिकेशन के समतुल्य राज्य स्तर से अधिसूचना संख्या–KA.NI.-2-836/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(06)-2017

	दिनांक 30.06.2017 जारी किया गया है, तथा केन्द्रीय नोटिफिकेशन के उक्त Schedules के समतुल्य ही अलग–अलग राज्य कर (SGST) दरों में निम्नवत रखा गया है– 1- Schedule I- 2.5% 2- Schedule II- 6% 3- Schedule III- 9% 4- Schedule IV- 14% 5- Schedule V- 1.5% 6- Schedule VI- 0.125% इस मूल अधिसूचना में समय–समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिनका विवरण/पूरक सामग्री की 20 प्रतियाँ मा0 सभापति जी के कक्ष में अवलोकनार्थ रख दी गयी हैं।
(ग) क्या रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थ पर अधिक जी0एस0टी0 होने के कारण जनता का जीना मुश्किल है ऐसी वस्तुओं पर जी0एस0टी0 कम करेंगे?	रोजमर्रा में उपयोग होने वाले ताजे फल एवं सब्जियों को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत करमुक्त रखा गया है। इसी प्रकार खुले (Loose) एवं खुदरा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, अण्डा, चावल, आटा इत्यादि जी0एस0टी0 से करमुक्त हैं। जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(ए) की उपधारा 4 के अन्तर्गत वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय जी0एस0टी0 काऊंसिल द्वारा लिया जाता है, जिसमें समस्त राज्यों एवं केन्द्र का प्रतिनिधित्व है। जी0एस0टी0 में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय काउंसिल में पर्याप्त विचार–विमर्श के उपरान्त राज्यों की सहमति के उपरान्त ही लिए जाते हैं।
(घ) यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्त (ग) का द्वितीय पैरा।
(ङ.) यदि नहीं, तो क्यों?"	उपरोक्त (ग) का द्वितीय पैरा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।